



2026:AHC:36937-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-3062/2026

खालिद हुसैन तथा 2 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता:

अखिलेशवर प्रताप सिंह, दीपक कुमार यादव

प्रत्यर्था के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति आचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रारम्भ में ही विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने इंगित किया कि इस मामले में जांच पूर्व में ही निष्कर्षित की जा चुकी है तथा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध 08.01.2026 को आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि वे रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तथा उचित समय पर उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. दिए गए कथन को दृष्टि में रखते हुए, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर निरस्त की जाती है।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार वापस कर दी जाए।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

केएस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”